राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4568/2024

गजानन्द खटीक

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राज.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, डीडवाना–कुचामन।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मीठडी नं.1, ब्लॉक नावां, डीडवाना–कुचामन।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.12.2024
आदेश की दिनांक : 23.01.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–तृतीय, लेवल–प्रथम के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मीठडी नं.1, ब्लॉक नावां, डीडवाना–कुचामन में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 17.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, लूणवां में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को जब वर्ष 2022 में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया गया था तब अपीलार्थी को उसके इच्छित विद्यालय में पदस्थापित किया गया था। चूंकि अपीलार्थी का उसके आवेदन पर विशिष्ट विद्यालय के लिये चयन किया गया था तो उसका अन्य महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष घोषित कर समायोजित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि

अपीलार्थी के वर्तमान विद्यालय में पद को रिक्त रखते हुए अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी ने यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को यदि उसी महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नहीं रखा जा सकता था तो उसे अन्य महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित नहीं करके राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित विद्यालय में रिक्त पद हैं।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का साक्षात्कार एवं चयनोपरांत महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन किया गया था। वर्तमान में उक्त पद को रिक्त रखते हुए अपीलार्थी को अन्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में समायोजित किया गया है, जो उचित नहीं है।

5. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 3 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

6. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)